Most Important

प्रेषक

निदेशक सैकेण्डरी शिक्षा
हरियाणा, पंचकूला।

सेवा में

1. निदेशक एस0सी0ई0आर0टी0, गुरुग्राम।
2. राज्य के सभी जिला शिक्षा अधिकारी।
3. राज्य के सभी प्राचार्य डाईट / बाईट तथा गैटीज।

यादि कमांक 12 / 76–.2021 प्रशा0(4)
दिनांक, पंचकूला

विषयः– **अधिकारियों / कर्मचारियों के सरकारी सेवा में नियुक्ति होने पर नई सामूहिक बीमा योजना–1985 के अन्तर्गत फार्म–1 में उनके एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में आने पर / नियमित पदोन्नति होने पर फार्म–11 में इन्रोलमैंट सम्बन्धित सूचना भेजने बारे।**

....

उपरोक्त विषय के संदर्भ में।

विषयांकित मामले में मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार से प्राप्त पत्र कमांक 3 / 7 / 2002–3एन0जी0आई0एस0 दिनांक 29.08.2024 की प्रति भेजते हुए अनुरोध है कि संलग्न पत्र में दिए गये निर्देशों की दृढ़ता से पालना करते हुए मांगी गई सूचना समय–समय पर चैक करने उपरांत ही सीधे अपने स्तर पर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार को भेजना सुनिश्चित करें तथा भेजी गई सूचना बारे विभाग की मुख्यालय में स्थित संबंधित शाखा को भी अवगत करवाने का कष्ट करे।

कृपया इसे उच्च प्राथमिकता दें।

संलग्न–उपरोक्तानुसार

Sd.
अधीक्षक प्रशासन
कृतेः निदेशक सैकेण्डरी शिक्षा
हरियाणा पंचकूला

पृष्ठांकनकमांकः सम **दिनांक, पंचकूला** 16/9/2024

इसकी एक–एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ तथा आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार को उनके पत्र कमांक 3/7/2002-3NGIS दिनांक 29.08.2024 के सन्दर्भ में सूचनार्थ तथा आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतू।
2. निजी सचिव / निदेशक सैकेण्डरी शिक्षा हरियाणा, पंचकूला।
3. निजी सहायक / अतिरिक्त निदेशक मॉडल संस्कृति स्कूल।
4. निजी सहायक / अतिरिक्त निदेशक प्रशासन–I
5. निजी सहायक / संयुक्त निदेशक प्रशासन।
6. रजिस्ट्रार शिक्षा सैकेण्डरी ।
7. अधिकारी / अधीक्षक एच.आर0जी0–I & II, PGT-I,II,III and IV, एच0आर0एम0ई I & II तथा तालमेल शाखा को आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
8. अधीक्षक प्रशासन (मौलिक शिक्षा) को भेज कर अनुरोध किया जाता है कि मामले में मौलिक शिक्षा निदेशालय की क्षेत्रीय कार्यालयों से सम्बन्धित कार्यवाही अपने स्तर पर करने का कष्ट करें।
9. अधीक्षक लेखा शाखा (मुख्यालय) से अनुरोध है कि मुख्यालय स्तर की सूचना मुख्य सचिव हरियाणा सरकार को भेजने का कष्ट करे।
10. आई0टी0 सैल (मु0)।

अधीक्षक प्रशासन
कृतेः निदेशक सैकेण्डरी शिक्षा
हरियाणा पंचकूला

19/9/24

–2

3193 Hd(4)
10/09/2024

<u>अति आवश्यक</u>

3/7/2002–3एन0जी0आई0एस0
हरियाणा सरकार
मानव संसाधन विभाग
(एन0जी0आई0एस0 शाखा)

दिनांकः 29.08.2024

सेवा में

1 सभी प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार ।
2 सभी विभागाध्यक्ष, हरियाणा ।
3 आयुक्त अम्बाला, हिसार, गुड़गॉव, रोहतक, करनाल तथा फरीदाबाद मण्डल ।
4 रजिस्ट्रार, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय, चण्डीगढ़ ।
5 सभी जिला एवं सत्र न्यायधीश, हरियाणा
6 सभी उपायुक्त एवं उपमण्डल अधिकारी (नागरिक), हरियाणा ।

विषयः– **अधिकारियों/कर्मचारियों के सरकारी सेवा में नियुक्ति होने पर नई सामूहिक बीमा योजना–1985 के अन्तर्गत फार्म–I में तथा उनके एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में आने पर/नियमित पदोन्नति होने पर फार्म–II में इन्रोलमेंट सम्बन्धित सूचना भेजने बारे ।**

*****

महोदय/महोदया,

मुझे निर्देश हुआ है कि मैं आपका ध्यान हरियाणा सरकार के परिपत्र कमांक 3/7/2002–3एन0जी0आई0एस0 दिनांक 25–09–2023 (मूलपत्र दिनांक 29–10–2002) की ओर दिलाउं और सूचित करूं कि प्रायः यह देखने में आया है कि बहुत कम विभागों द्वारा फार्म–I तथा II में इन्रोलमेंट से सम्बन्धित सूचना सरकार को भेजी जा रही है । इस सम्बन्ध में यह भी सूचित किया जाता है कि जिन विभागों द्वारा यह सूचना भेजी जा रही है वह जी0आई0एस0 की हिदायतों तथा नियमों को ध्यान में रखकर नहीं भेजी जाती है । आपके ध्यान में यह भी लाया जाता है कि चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के सरकारी सेवा में ज्वाईन करने पर उनकी जी0आई0एस0 की कटौती बारे जारी हिदायतें कमांक 1/5/89–1एन0जी0आई0एस0 दिनांक 13–10–1989 के पैरा–3 तथा ग्रुप सी, बी, ए के अधिकारियों/कर्मचारियों के सरकारी सेवा में ज्वाईन करने पर जी0आई0एस0 की कटौती की सूचना हिदायतों कमांक 1/23/89–1एन0जी0आई0एस0 दिनांक 2–1–1990 के तहत फार्म–I में भरकर सरकार को भेजी जाए तथा उनकी सरकारी सेवा में नियुक्ति की तिथि भी दर्शाई जाए । अधिकारियों/कर्मचारियों के एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी में नियमित पदोन्नत होने पर उनकी जी0आई0एस0 की कटौती की सूचना सरकारी कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना–1985 के नियम 5(2) तथा हिदायतों कमांक 1/23/89–1एन0जी0आई0एस0 दिनांक 2–1–1990 के अंतर्गत [जनवरी (वर्षगांठ) से एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी की जी0आई0एस0 की कटौती करके] फार्म–II में भरकर सरकार को भेजी जाए ।

2 आपसे यह भी अनुरोध है कि आप अपने अधीन सभी डी0डी0ओज0 को निर्देश दें कि वे समय–समय पर फार्म–I तथा फार्म–II में इन्रोलमेंट सम्बन्धित सूचना अपने विभागाध्यक्षों को अवश्य भेजते रहें और विभाग यह सुनिश्चित करे कि सूचना चेक करने के उपरान्त ही सरकार को भेजी जाए तथा उक्त बताए नियमों का सख्ती से पालन किया जाए। ताकि सरकारी सेवा में आने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों तथा नियमित तौर पर पदोन्नत किए गए अधिकारियों/ कर्मचारियों के सही आंकडों तथा उनकी सही तरह से की गई जी0आई0एस0 की कटौती का सरकार को पता चल सके।

DSE 04/09/2024

AD/Admn

भवदीया

मंजु बाला
अधीक्षक, एन0जी0आई0एस0
कृतेः मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

पृ0 कमांक 3/7/2002–3एन0जी0आई0एस0 दिनांक, चण्डीगढ़, अगस्त 2024

इसकी एक–एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाती है:–
1 प्रधान महालेखाकार (ए0 एण्ड ई0), हरियाणा ।
2 सभी खजाना अधिकारी/सहायक खजाना अधिकारी, हरियाणा ।

Director Secondary Education Haryana
Diary No.....
04 SEP 2024
47082
Panchkula

मंजु बाला
अधीक्षक, एन0जी0आई0एस0
कृतेः मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।